भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1046

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती

†1046. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :**
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने और सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने शिक्षकों की भर्ती किए जाने की संभावना है और ये भर्तियाँ कब तक की जाएंगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) तीन पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से एक थी, जिसे वर्ष 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा में सम्मिलित कर दिया गया है। यह योजना स्कूली शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से देखती है और शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। इस योजना में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों तक एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन

हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, आदिवासी भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षण सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/अनुरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु-अनुकूल विशेष प्रशिक्षण तथा बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु-अनुकूल आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल का अवसंरचनात्मक विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को सुदृढ़ करना, आईसीटी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल पहलों का प्रावधान शामिल है।

(ख) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षकों की भर्ती करके रिक्तियों को भरना संबंधित सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई छात्र संख्या/नए स्कूलों से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं और समय-समय पर इन पदों को भरने का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। समग्र शिक्षा की एकीकृत योजना के तहत, शिक्षकों के वेतन हेतु विभाग कार्यक्रम-संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा उपलब्ध प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर पारदर्शी तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या और भर्ती की समय-सारणी सहित शिक्षकों की भर्ती की योजना राज्यों द्वारा उनकी सुविधा और उपयुक्तता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती है।

******